अनुक्रमांक ..... गोपनीय

29

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 19-3/2018/38-2 भोपाल, दिनांक 02/05/2018

-: मंत्रि-परिषद हेतु संक्षेपिका :-

विषयः- मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (CMCLDP) के अंतर्गत संचालित समाजकार्य स्नातक (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) Bachelor of social work (community leadership) पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को नियमित विद्यार्थियों के समान शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की सुविधा एवं लाभ उपलब्ध कराने के संबंध में।

--0--

1. **योजना परिचय-** मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (CMCLDP) की नीति मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2014 को अंनुमोदित की गई थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षण पद्धति के रूप में BSW की डिग्री देने हेतु पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में यह पाठ्यक्रम प्रदेश के 313 विकासखण्डों के शासकीय भवनों में आदिम जाति कल्याण विभाग एवं जन अभियान परिषद तथा 51 जिला मुख्यालयों में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में CMCLDP कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 34 हजार विद्यार्थी पंजीकृत हैं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्नातक स्तर की डिग्री प्रदाय की जाती है।

2. उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों एवं योजनाओं से समतुल्यता -

उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्तमान में लगभग 1500 शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में प्रमुखतः कला, विज्ञान, वाणिज्य, बी.एड, विधि एवं प्रबंधन पाठ्यक्रमों के द्वारा लगभग 06 लाख विद्यार्थियों के विद्यार्जन की व्यवस्था शासन की नीति अनुसार की जा रही है।

उच्च शिक्षा विभाग, राज्य शासन की नीति अनुसार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का भी संचालन करता है। जहाँ तक अधोसंरचनात्मक एवं निर्माण कार्य संबंधी योजनाओं का प्रश्न है वे शासकीय महाविद्यालयों तक सीमित हैं, परंतु छात्र हित में विद्यार्थियों के लिए चलायी जाने वाली योजनाएं मध्यप्रदेश में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए पात्रता एवं अर्हता अनुसार उपलब्ध होती हैं। इनमें सभी पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी शामिल हैं। विभाग द्वारा विद्यार्थियों के हित में गांव की बेटी, प्रतिभा किरण योजना, विक्रमादित्य योजना, एकीकृत छात्रवृत्ति योजना, आवागमन योजना, निशुल्क पुस्तक एवं स्टेशनरी का प्रदाय आदि योजनाएं संचालित की जा रही है।

CMCLDP कार्यक्रम में अध्ययनरत् लगभग 34 हजार विद्यार्थी वर्तमान में शासन एवं विभाग की उक्त सभी योजनाओं से वंचित हैं। जिसका एक मात्र कारण इस कार्यक्रम को दूरस्थ पाठ्यक्रम की श्रेणी में रखा जाना है। जबकि यह पाठ्यक्रम आगे दिये गये विवरण और औचित्य के अनुसार अन्य दूरस्थ पाठ्यक्रमों से पूर्णतः भिन्न है।

अतः विभाग द्वारा समाजकार्य स्नातक (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षण पद्धति का माना जाने के कारण इन योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा सका है।

3. **प्रस्ताव का औचित्य एवं विवरण-** इस कार्यक्रम की मूल अवधारणा प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए स्वप्रेरणा से ग्रामीण विकास में योगदान के अभिलाषी युवाओं को सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास और सामाजिक सुचिता में उसका अधिकतम उपयोग करना रहा है। चित्रकूट विश्वविद्यालय द्वारा CMCLDP पाठ्यक्रम के छात्रों नियमित छात्रों के समान अवसर और सुविधायें उपलब्ध कराने तथा CMCLDP कार्यक्रम को–सामान्य–एवं अन्य–दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम से भिन्न होने के प्रस्ताव पर आयुक्त, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में गठित् समिति द्वारा परीक्षण किया गया।

आयुक्त, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा CMCLDP कार्यक्रम की विस्तृत विवेचना कर प्रतिवेदन दिया गया है जिसके प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

(अ) CMCLDP कार्यक्रम में नियमित सप्ताह में एक दिवस कक्षाएं संचालित होती हैं।

(ब) सप्ताह के शेष 06 दिवस विद्यार्थी फील्डवर्क करते हैं।

(स) विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठ्यक्रम में व्यस्त एवं संलग्न रहते हैं।

(द) सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कार्यों का प्रावधान है।

(ई) 80 प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति का प्रावधान है।

उपरोक्त समिति का स्पष्ट अभिमत है कि समाजकार्य स्नातक (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) के विद्यार्थी ग्रामीण अंचलो से हैं साथ ही शैक्षणिक एवं आर्थिक रुप से पिछडे समाज के कमजोर वर्गो से संबंध रखते है। इन विद्यार्थियों की शैक्षणिक व्यस्तता विभाग द्वारा संचालित नियमित पाठ्यक्रमों के समतुल्य है तथा पूर्णरुपेण दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से चलाये जा रहे अन्य पाठ्यक्रम जैसे भोज मुक्त वि0वि0, इग्नू की शिक्षण पद्यति से उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर भिन्न है अतः इन विद्यार्थियों को नियमित विद्यार्थी माना जानें की अनुशंसा की गई है।

4. CMCLDP अंतर्गत अब तक की प्रमुख उपलब्धि:-

(अ) प्रमुख संचिव स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा को सम्बोधित अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि CMCLDP अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा 50 प्रतिशत से कम महिला साक्षरता वाले 42 जिलों में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करते हुये साक्षरता मूल्यांकन में 32 लाख से ज्यादा नव साक्षरों को सत्यापित करवाया गया है।

उक्त उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिल्ली द्वारा म0प्र0 राज्य को निम्न 03 श्रेणियों के प्रथम पुरस्कार प्रदान किये गये है।

1. राज्य स्तर की श्रेणी हेतु- राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, म.प्र. भोपाल ।

2. राज्य संसाधन केन्द्र की श्रेणी हेतु-राज्य संसाधन केन्द्र, इंदौर ।

3. जिला लोक शिक्षा समिति की श्रेणी हेतु-जिला लोक शिक्षा समिति, टीकमगढ़ ।

(ब) मुख्य कार्यपालन अधिकारी म0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 23.09.2017 के माध्यम से अवगत कराया गया कि BSW (CMCLDP) द्वितीय वर्ष के 5752 विद्यार्थियों द्वारा प्रदेश की 8179 ग्राम पंचायतों में दिनांक 26.12.2016 से 14.01.2017 तक सम्पन्न सामाजिक अंकेक्षण कार्य में प्रभावी भूमिका का सफलता पूर्वक निष्पादन किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संम्पादित त्रैमासिक इंटर्नशिप कार्यक्रम में BSW (CMCLDP) के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को पहुचाने में सराहनीय योगदान प्रदान किया गया है। प्रदेश के 21 जिलों के उन 21 विकासखंडो में जहां आजीविका मिशन महिला समूह गठित नहीं है वहां सामाजिक अंकेक्षण का कार्य BSW (CMCLDP) के 900 विद्यार्थियों के माध्यम से सम्पन्न किया जा रहा है।

5. **प्रस्ताव-** प्रस्तावित है कि CMCLDP के अंतर्गत ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में पंजीकृत सभी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा विभाग सहित राज्य शासन द्वारा संचालित समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ देने के लिए नियमित छात्रों के समतुल्य माना जाकर पात्र माना जाए। प्रत्येक योजना की शर्तें, प्रक्रिया एवं पात्रता समाजकार्य स्नातक (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) के विद्यार्थियों पर भी यथावत लागू होंगी।

6. **वित्तीय आंकलन-** विभाग द्वारा किये गये आंकलन के अनुसार CMCLDP कार्यक्रम अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों को इन योजनाओं का लाभ देने पर लगभग 04.00 करोड़ रूपये वार्षिक का अतिरिक्त व्यय-भार आयेगा, जिसका सम्पूर्ण व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

व्यय-भार की गणना का पत्रक (परिशिष्ट-1) में संलग्न है। स्पष्टतः यह गणना वास्तविक पात्रता एवं छात्र संख्या के आधार पर प्रतिवर्ष कम या ज्यादा हो सकती है। वर्तमान में इन योजनाओं के लिये विभागीय नियमित बजट शीर्ष उपलब्ध है बजट आवंटन तथा प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार नीतिगत निर्णय होने के उपरांत समाजकार्य स्नातक के विद्यार्थियों को पात्रता अनुसार योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ शैक्षणिक सत्र 2018-19 से दिया जाना प्रस्तावित है।

7. **अन्य विभागीय योजनाएँ-** म.प्र. शासन के विभिन्न विभाग जैसे सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण, श्रम विभाग आदि द्वारा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। यदि इस पाठ्यक्रम को नियमित पाठ्यक्रम के समतुल्य माना जाता है तो अन्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का शर्त पूरी करने पर पाठ्यक्रम के विद्यार्थी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।

8. **संक्षेपिका पर वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त किया गया है जो निम्नानुसार है-**

"यदि CMCLDP के विद्यार्थियों को प्रस्तावित लाभ दिया जाता है, तो distance learning mode के अन्य विद्यार्थियों को भी ये लाभ दिये जाने अपेक्षित होंगे। वर्तमान वित्तीय परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों को दी जा रही Block Grant में भी वृद्धि की जाना संभव नहीं होगा। अतः distance learning के छात्रों को नियमित छात्रों के समकक्ष माना जाकर अतिरिक्त व्यय किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की जाती है।"

9. वित्त विभाग के अभिमत पर विभाग की टीप निम्नानुसार है-

संक्षेपिका में यह स्पष्ट है कि CMCLDP कार्यक्रम विश्वविद्यालयों में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से चलाये जा रहे अन्य पाठ्यक्रमों से पूर्णत: भिन्न है, क्योंकि इस कार्यक्रम में अध्ययनरत छात्र नियमित रूप से सप्ताह में 01 दिवस कक्षा में एवं शेष 06 दिवस फील्ड वर्क करता है व पूरे सप्ताह पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कार्यों में व्यस्त एवं संलग्न रहता है। यहाँ तक कि इस कार्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों को 80% उपस्थिति की अनिवार्यत: भी है, अत: CMCLDP पाठ्यक्रम की तुलना डिस्टेन्स एजुकेशन के अन्य पाठ्यक्रमों से नहीं की जा सकती है।

वित्त विभाग के इस मत का जिसमें वित्तीय परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों को दी जा रही Block Grant में वृद्धि की बात कही गयी है, तत्संबंध में स्पष्ट करना उचित होगा कि विश्वविद्यालयों को Block Grant उनके संचालन एवं संधारण के लिये प्रदान की जाती है, न कि विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को राज्य शासन द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं का लाभ देने के लिये होती है। विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली Block Grant एक बिल्कुल ही पृथक विषय है।

CMCLDP के कार्यक्रम में अध्ययनरत लगभग 34 हजार छात्र जो 51 जिलों के 89 आदिवासी बाहुल्य विकासखंड तथा 224 गैर अनुसूचित जाति विकासखंडों में मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद के साथ मिलकर राज्य शासन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजनाओं को केन्द्रित करते हुये समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान, विशेषकर महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक उत्थान एवं उनके प्रति समाज में सकारात्मक भावनाओं को विकसित करने हेतु अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं।

शासन के विभिन्न विभागों के अभियान जैसे साक्षरता अभियान, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, पल्स पोलिया अभियान, वृक्षारोपण का कार्यक्रम, एकात्म यात्रा आदि महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में जनअभियान परिषद के विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभा रहे है। जिससे राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के विभिन्न सूचकांकों (INDICATORS) का प्रदर्शन भी बढ़ा है।

10. संक्षेपिका पर विभागीय मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है।

11. मंत्रि-परिषद से आदेश प्रार्थित है कि - CMCLDP के अंतर्गत ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में पंजीकृत सभी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा विभाग सहित राज्य शासन द्वारा संचालित समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ देने के लिए नियमित छात्रों के समतुल्य माना जाकर पात्र माना जाए। प्रत्येक योजना की शर्तें, प्रक्रिया एवं पात्रता समाजकार्य स्नातक (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) के विद्यार्थियों पर भी यथावत लागू की जावें।

(बी.आर. नायडू)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रि-परिषद आदेश का प्रारूप

निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (CMCLDP) अंतर्गत महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट द्वारा संचालित- समाजकार्य स्नातक (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के समतुल्य माना जावे।

उच्च शिक्षा विभाग सहित शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं तथा सुविधाओं का लाभ जो कि नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को दिया जा रहा है, निर्धारित पात्रता एवं शर्तें पूर्ण होने की स्थिति में सत्र 2018-19 से महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में पंजीकृत समाजकार्य स्नातक (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को प्रदान किया जावे।

परिशिष्ट – एक

CMCLDP के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा विभाग की योजनाओ के लाभ दिये जाने पर अनुमानित व्यय -

योजना	विगत वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा लाभ प्राप्त विद्यार्थी		चालू वर्ष 2017–18 बजट आवंटन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक 912/214/बजट/2017, दिनांक 27/04/17 के अनुसार	CMCLDP के विद्यार्थियों हेतु अनुमानित व्यय		अतिरिक्त वृद्धि %
	संख्या (उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त आकडे)	राशि (उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त आकडे)		संख्या	राशि	
गांव की बेटी योजना एवं प्रतिभा किरण 500/- प्रतिमाह अधिकतम 10 माह	57,131	28,56,49,289	3425 लाख	716 (चित्रकूट विश्वविद्यालय में प्रवेशित छात्राओं 14320 का 5 प्रतिशत)	3580000 (अनुमानित संख्या * 5000प्रति वर्ष प्रति छात्रा)	1.25 %.
विकमादित्य योजना 250 /- प्रतिमाह अधिकतम 10 माह	3202	64,00,110	80.00 लाख	97 (चित्रकूट विश्वविद्यालय में प्रवेशित छात्राओं का 0.5 प्रतिशत)	242500 (अनुमानित संख्या * 2500 प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी)	3.79%
स्मार्ट फोन (2014-15) (के प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों हेतु)	133402	288148320	4300 लाख	8400 (सत्र 2015–16 के प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों को)	18144000 (अनुमानित संख्या * 2160/-प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी)	6.30%
आवागमन भत्ता 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से आने वाली छात्राओं हेतु 40 दिवस	80543	56381273	590.00 लाख	14320 (समस्त प्रवेशित विद्यार्थियों का 50%)	2864000 (अनुमानित संख्या * 200/- अधिकतम)	5.08%
					कुल राशि 2,48,30500	
निःशुल्क पुस्तके एवं स्टेशनरी का प्रदाय (राशि आदिम जाति कल्याण विभाग से उच्च शिक्षा विभाग को प्राप्त)	107276	214542249	2300 लाख	9244	18488000 (1500+500=2000/-) प्रति विद्यार्थी	8.62%
					4,33,18500	